बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। <u>संकल्प</u> ।।

विषयः—केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अन्तर्गत जमालपुर जलापूर्ति योजना, पार्ट—A प्राक्कलित राशि 3073.313 लाख एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज—II, पार्ट—A प्राक्कलित राशि 3353.98 लाख और राज्य योजनान्तर्गत जमालपुर जलापूर्ति योजना, पार्ट—B प्राक्कलित राशि 2502.18 लाख एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज—II, पार्ट—B प्राक्कलित राशि 10189.397 लाख अर्थात कुल प्राक्कलित राशि ₹19118.87 लाख (एक अरब एक्यानवे करोड़ अठारह लाख सतासी हजार रू0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना का शुभारंभ दिनांक—25. जून, 2015 को किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 26 शहर एवं बोधगया शहर सहित कुल 27 शहरों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अधीन शहरों में जलापूर्ति योजना, ड्रेनेज योजना, सिवेज योजना एवं पार्क विकास योजना को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन State Annual Action Plan (SAAP-I) में 664.20 करोड़, SAAP-II में 775.20 करोड़ एवं SAAP-III में 1030.37 करोड़ की योजना स्वीकृत है।

SAAP-II में जमालपुर जलापूर्ति योजना एवं SAAP-III में औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज—II की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. AMRUT योजना के अधीन SAAP-I, SAAP-II एवं SAAP-III के लिए स्वीकृत सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹116480.00 लाख का वहन किया जाएगा। AMURT योजना के अन्तर्गत अबतक 33 जलापूर्ति योजना, 03 ड्रेनेज योजना एवं 29 पार्क विकास योजना सहित कुल—65 योजनाएँ स्वीकृत है। इन योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि ₹231815.66 लाख है जिसके व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। जिसमें केन्द्रांश की राशि ₹110851.07 लाख की व्यय की स्वीकृति दिया जा चुका है। जिसके कारण जमालपुर जलापूर्ति योजना एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज—II की पूरी योजना का कार्यान्वयन AMRUT योजना के अधीन किया जाना संभव नहीं है।

तदालोक में जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट—A एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज—II पार्ट—A को AMRUT योजना के अधीन और जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट—B एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज—II पार्ट—B को AMRUT योजना के तर्ज पर राज्य योजना के अधीन स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

3. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अधीन 10.00 लाख से अधिक आबादी वाले शहर (पटना) के लिए कुल प्राक्कलित राशि का एक तिहाई भारत सरकार द्वारा, 20% नगर निकाय द्वारा एवं शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 10 लाख से कम आवादी वाले शहरों के लिए कुल राशि का 50% भारत सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि का वहन

नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। योजना के अधीन O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा एवं Convergence की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

जबकि राज्य योजना मद पार्ट–B की प्राक्कलित राशि का 80% राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा एवं 20% राशि और O&M मद की पूरी राशि का वहन नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

4. जमालपुर नगर निकाय में जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु PHED द्वारा कार्य कराया जा रहा है। पूरे जमालपुर शहर में जलापूर्ति किये जाने हेतु PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य को छोड़कर शेष कार्यों को जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं जलापूर्ति योजना पार्ट–B के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं जलापूर्ति योजना पार्ट–B के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का Vetting PHED के अभियंता प्रमुख से कराया गया है, ताकि कराये जाने वाले का Duplication न हो। जमालपुर शहर में जलापूर्ति योजना के अंतर्गत PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य निम्नवत हैं:–

क्रम सं0	योजना का नाम	PHED द्वारा कराये जा रहे कार्य का विवरण
1	जमालपुर जलापूर्ति योजना	Rising main - 10.6 Km. Distribution Network- 40.925 Km., Clear water main (from Sump to Tower) -4.97 Km. OHT- 4 (1 Lakh Gallon each), Sump Capicity - 10 Lakh Gallon, WTP-3.4 MGD, Stand Post - 100 Nos. House Cannection - 0

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं पार्ट–B के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य निम्नवत हैं –

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण	कुल प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)
1	जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट A	Distribution network (Zone- 1 and Zone - 4) 73.1006 Km., House Connection - 6605, SCADA - 2 Nos.	3073.313
2	जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट B	Distribution network (Zone-2 & Zone- 3) 51.6007Km, House connection - 8000 SCADA - 2 No.	2502.18

AMRUT योजना के अधीन प्रस्तावित जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–A योजना के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

म सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	आनुपातिक केन्द्रांश की राशि 50% of Colomn-3	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 30% of Colomn-3	नगर निकाय का अंशदान	
							Capital cost का 20% of Colomn-3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–A (SAAP-II)	2800.00	273.313	3073.313	1400.00	840.00	560.00	273.313

राज्य योजना के अधीन प्रस्तावित जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–B योजना के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 80% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
						Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
	जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–B	2280.667	221.513	2502.18	1824.534	456.133	221.513

5. औरंगाबाद शहर में जलापूर्ति योजना हेतु AMRUT योजना के अधीन जलापूर्ति योजना फेज–I स्वीकृत है, इसके अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों को छोड़कर पूरे शहर में जलापूर्ति हेतु शेष कार्यों को औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट–A एवं पार्ट–B के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–I में शहर में ही बोरिंग का प्रावधान है। लेकिन शहर में जल स्रोत की कमी के कारण औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II के लिए बारूण से जल लाया जाना है जो शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। बारूण से जल लाये जाने के कारण योजना की प्राक्कलित राशि में वृद्धि हो रही है। औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–I के अंतर्गत निम्न कार्य किया जा रहा है–

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण	कुल प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)
1	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–I	6 Nos Tube Wells, Rising Main-6856 M, Storage Reservoirs-4 Nos of 47.50 Lac Liter Capacity, Distribution Pipe Line-35.353 Km, HH connection - 15782 Nos, SCADA-No.	2977.10

जबकि औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II पार्ट A एवं पार्ट–B के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की विवरणी निम्नवत् है–

क्रम सं0	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण	कुल प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)
1	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट A	Elevated Service reservior (ESR)/OHT-7 Nos., Distribution Network- 96.68 Km. House Cannection - 1400	3353.98
2	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट B	High yielding Tubwell - 12 Nos., Raw water Pump - 1 Set., Approch Road- 779.90 M. (for CWR, ESR)., Clear Water Pipe line (CWR At Barun- 20.10 Km., (600 mm dia. DI K-9 Pipe). Constructions of Gangway- 1 set. (3000 m long 1 m wide), Lifting Arrangment 2 set., Chlorinator (200 lit) - 1 Nos., Construction of chlorinator room 1 No,. Stand Post - 20 Nos., Master Elevated Reservior - 1 No. (1270 KL) Intermediate Pumping stati on - 3 Nos., (Zone- III, Zone- V, Zone-VI), Clear water reservior - 1Nos at Barun (1340 kL), Clear water Pump - 1 set, Clean water Pumping Main - 630 M. (250 mm dia, 600 mm dia), Clear water Gravity Main- 12.012 Km (250mm dia, 750 mm dia) Distrubution Network 77.81 Km.(Zone I, III&IV) House Canncetion - 8340 Nos., SCADA - 8 Nos.	10189.397

AMRUT योजना के अधीन प्रस्तावित औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–A, योजना के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	आनुपातिक केन्द्रांश की राशि 50% of Colomn-3	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 30% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
							Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	**औरंगाबाद जलापूर्ति योजना पार्ट–A फेज–II** (SAAP-III)	3049.764	304.216	3353.98	1524.882	914.929	609.953	304.216

राज्य योजना के अधीन प्रस्तावित औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–B योजना के लिए प्रस्तावित राशि की विवरणी निम्नवत है:–

(राशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित कैपिटल कॉस्ट	प्राक्कलित O&M Cost	कुल प्राक्कलित राशि	वचनबद्ध राज्यांश की राशि 80% of Colomn- 3	नगर निकाय का अंशदान	
						Capital cost का 20% of Colomn- 3	O&M Cost का 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
	औरंगाबाद जलापूर्ति योजना पार्ट–B	9283.329	906.068	10189.397	7426.663	1856.666	906.068

6. AMRUT योजना के अधीन प्रस्तावित जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट–A एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II के पार्ट–A के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल ₹2924.882 लाख, राज्यांश के रूप में ₹1754.929 लाख रू0 एवं नगर निकाय के अंशदान के रूप में योजना के कैपिटल कॉस्ट 20% ₹1169.953 लाख रू0 और O&M Cost की राशि ₹577.529 लाख रू0 सहित कुल ₹1747.482 लाख अर्थात कुल प्राक्कलित राशि ₹6427.293 लाख रू0 व्यय होने की संभावना है।

राज्य योजना के अधीन प्रस्तावित जमालपुर जलापूर्ति योजना पार्ट-B एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II के पार्ट–B के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में कुल–₹9251.197 लाख एवं नगर निकाय के अंशदान के रूप में योजना के कैपिटल कॉस्ट का 20% राशि ₹2312.799 लाख और O&M Cost की पूरी राशि ₹1127.581 लाख रू0 सहित कुल ₹3440.38 लाख अर्थात कुल प्राक्कलित राशि ₹12691.577 लाख रू0 व्यय होने की संभावना है।

योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि प्रथम किश्त 20%, द्वितीय किश्त 40% एवं तृतीय किश्त 40% के रूप में विमुक्त किया जाएगा। जमालपुर जलापूर्ति योजना एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II मद में राज्यांश के रूप में तीन किश्त में कुल राशि ₹11006.126 लाख (एक अरब दस करोड़ छह लाख बारह हजार छह सौ रू0 मात्र) का भार वहन किया जाना है।

7. विकास की गति को बनाये रखने तथा जमालपुर एवं औरंगाबाद के नागरिकों को उच्चस्तरीय जीवन स्तर प्रदान करने के उद्देश्य से नये जलापूर्ति योजना हेतु कुल राशि ₹19118.87 लाख (एक अरब एक्यानवे करोड़ अठारह लाख सतासी हजार रू0 मात्र) का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इससे राष्ट्रीय मानक के अनुसार जमालपुर एवं औरंगाबाद नगर निकाय क्षेत्र में आवासित सभी निवासियों को गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति किया जा सकेगा। वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों को शुद्ध एवं समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन योजनाओं को अगले तीस वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

8. इन जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन एजेंसी बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, (बुडको) होगा।

9. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक–15.01.2019 को सम्पन्न बैठक में मद सं0–18 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

10. अतः केन्द्र प्रायोजित AMRUT योजना के अन्तर्गत जमालपुर जलापूर्ति योजना, पार्ट–A प्राक्कलित राशि 3073.313 लाख एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–A प्राक्कलित राशि 3353.98 लाख और राज्य योजनान्तर्गत जमालपुर जलापूर्ति योजना, पार्ट–B प्राक्कलित राशि 2502.18 लाख एवं औरंगाबाद जलापूर्ति योजना फेज–II, पार्ट–B प्राक्कलित राशि 10189.397 लाख अर्थात कुल प्राक्कलित राशि ₹19118.87 लाख (एक अरब एक्यानवे करोड़ अठारह लाख सतासी हजार रू0 मात्र) के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारी/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–AMRUT-21-03/2015 185 दिनांक– 18/01/19

प्रतिलिपिः अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–AMRUT-21-03/2015 185 दिनांक– 18/01/15

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (AMRUT), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/संयुक्त सचिव (SBM), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार/प्रबंध निदेशक, बुडको/पर्षद/सभी संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद जमालपुर एवं औरंगाबाद/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/2015

सरकार के प्रधान सचिव।